प्रारुप–30.2

योजना का नाम– **जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–305/2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में शिवपुरी–जाजल मोटर मार्ग का डबल लेन में निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव। (लम्बाई 7.25 कि0मी0)**

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर

पत्रांक– दिनांक–

(अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, नरेन्द्रनगर)

उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–305/2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में शिवपुरी–जाजल मोटर मार्ग का डबल लेन में निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव (लम्बाई 7.25 कि0मी0) में निर्माण कार्य हेतु** (**4.41**हे0 आरक्षित वन भूमि, **0.28** हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, **0.00** हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **4.69 हे0** वन भूमि) का प्रस्ताव **लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नरेन्द्रनगर) की दिनांक 15.10.2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवंनियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक युक्ता मिश्र, उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–युक्ता मिश्र, उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर	–अध्यक्ष
2–श्री डी0प0बलूनी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकीरेती	–सदस्य
3–श्री राहुल प्रताप सिंह, सहायक समाज कल्याण अधिकारी,नरेन्द्रनगर	–सदस्य/सचिव
4–श्री हरीश जोशी, बी0डी0सी0 सदस्य, रौन्देली	–सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया **जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–305/2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में शिवपुरी–जाजल मोटर मार्ग का डबल लेन में निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव (लम्बाई 7.25 कि0मी0)** हेतु 4.69 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्रामसभाओं द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर (मुनिकीरेती) द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं ततसम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–305/2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में शिवपुरी–जाजल मोटर मार्ग का डबल लेन में निर्माण कार्य** हेतु 4.69 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर. (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–नरेनद्रनगर, जनपद–टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–नरेनद्रनगर, जनपद–टिहरी गढ़वाल

प्रारुप (30.20)

आज दिनांक 15/10/2020 को राज्य योजना के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–305/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण हेतु भू हस्तानान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है–

क0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	युक्ता मिश्र	उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर	उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल
2	श्री डी0पी0 बलूनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकीरेती	उप प्रभागीय वनाधिकारी ([illegible])
3	श्री राहुल प्रताप सोनी देवी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, नई टिहरी	15/10/2020 सहायक समाज कल्याण अधिकारी नरेन्द्रनगर ([illegible])
4	श्री हरीश जोशी	सदस्य बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत नरेन्द्रनगर	हरीश जोशी सदस्य क्षेत्र पंचायत-रौन्देली-12 वि0 ख0-नरेन्द्रनगर (टि0 ग0)

01/10/2020

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र- [illegible]
[illegible]
1/10/2020

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT TEHRI GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Tehri** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. **Eva Ashish** Srivastava I.A.S District Magistrate **Tehri Garhwal** on dated 30/06/2021 at time ....at **Tehri** in which application claiming rights in **Tehri** area measuring **4.69** hect for the construction of **Honorable Chief minister announcement No. 305/2014 land transfer proposal for construction of motor road from Shivpure to Jajal (Dooble lane) in legislative assembly N.Nagar** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Narendra Nagar** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; 30/06/2021

Dated:...TEHRI...

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe
टिहरी गढ़वाल।

Encl.-01

It is Further certified that- Minutes of Meeting of Construction of Shivpuri Jajal Dabul Lane Motor Road Motor Road (Length 7.25 Km) regarding FRA is as following:-

S.N.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.69 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure (VIII).	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers. No objections certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of Motor Road is attached.
(c)	The proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल

श्रीमती सरिता रौतेला
सदस्य
जिला पंचायत
वार्ड नं0-42 जयकोट (टि0 ग0)

समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

उप जिलाधिकारी
नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

Signature
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।
(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारुप–30

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District CollectorTehri Garhwal

No--493/XXIV – ALC II/2021, दिनांक नई टिहरी Dated--30.6.2021

TO WHOMWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.69 hectares** of forest land proposed to be diverted **in favour of Executive Engineer Const Div P.W.D. Narendra Nagar for Const of Road in Tehri Garhwal district** falls within jurisdiction of **Shivpuri to Jajal** village(s)) in **Gaja** tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.69 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **(I)** to annexure **(VII)** the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature
जिलाधिकारी
(Full name and official seal of the District Collector)
टिहरी गढ़वाल

Ay
T.H.N.R

SDM
Narendranagar

SDM
NARENDRA NAGAR